वैज्ञानिक तथा औधोगिक अनुसंधान परिषद,
अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली- 110001

No. 6-9(131)/2005-E-III **दिनांक:-12/02/2016**

कार्यालय ज्ञापन

विषय :- 'अचल संपत्ति' का वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने विषयक

संदर्भ:- **समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन दिनांक 21/12/2015**

परिषद के कर्मचारियों पर लागू सीसीएस (आचरण) नियमावली, 1964 के नियम 18 (1)(ii) के अनुसार 31 दिसम्बर, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए उपर उल्लिखित अचल परिसंपत्ति का वार्षिक विवरण सीएसआईआर मुख्यालय के समूह 'क' और 'ख' के अधिकारियों/कर्मचारियों से दिनांक 31/01/2016 तक प्राप्त किया जाना था। इस संदर्भ में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DOPT) के का0 ज्ञा0 सं0 11012/11/2007-Estt. (A) दिनांक 27/09/2011 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार उन अधिकारियों/कर्मचारियों को Vigilance Clearance नहीं दिया जा सकता जिन्होने पिछले वर्ष का अचल संपत्ति विवरण नहीं दिया है।

यह देखा गया है कि मुख्यालय के कई अधिकारियों/कर्मचारियों का वर्ष 2015 का अचल संपत्ति विवरण अभी तक इस अनुभाग को प्राप्त नहीं हुआ है। मुख्य सतर्कता अधिकारी, सीएसआइआर ने इसे गंभीरतापूर्वक लिया है।

अंत: रुपये 4200/- व उससे अधिक ग्रेड पे लेने वाले सभी समूह 'क' और 'ख(Non-Gazetted सहित)' अधिकारियों/कर्मचारियों से अनुरोध है कि वे अपना अचल संपत्ति विवरण केन्द्रीय कार्यालय प्रशासन को इस का0 ज्ञा0 के जारी होने के पांच दिन के अन्दर प्रस्तुत करें।

ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जिन्होने अपनी संपत्ति का विवरण पहले ही प्रस्तुत कर दिया है, उन्हें यह विवरण पुन: प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

(पल्लवी सेन गुप्ता)
अवर सचिव

प्रतिलिपि:-

1. सीएसआईआर मुख्यालय एवं आईपीयू - के सभी प्रभागीय विभागीय प्रधान इस अनुरोध के साथ कि वे इस कार्यालय ज्ञापन में दी गई विषय-वस्तु को अपने नियंत्रणाधीन स्टाफ के सभी सदस्यों की जानकारी में लाएं।
2. वी0पी0, सीएसआईआर का कार्यालय
3. महानिदेशक सीएसआईआर का कार्यालय
4. संयुक्त सचिव(प्रशासन) का कार्यालय
5. वित्त सलाहकार की निजी सहायक
6. मुख्य सतर्कता अधिकारी के निजी सचिव
7. वरिष्ठ उप सचिव (एच0 आर0)
8. सीएसआईआर मुख्यालय तथा आईपीयू के सभी वरिष्ठ उप वित्त सलाहकार, उप वित्त सलाहकार, उप सचिव
9. प्रधान, आईटी प्रभाग - इस अनुरोध के साथ कि वे इस कार्यालय ज्ञापन को कार्यालय की वेबसाइट पर डालें।
10. सीएसआईआर मुख्यालय के सभी पटट

कृपया उचित कार्यवाही करें। 16/02/16